<u>उल्लंघन सह कारण बताओ नोटिस</u>

jft- ,-Mh-@bZ&esy

Hkkjr ljdkj

[kku ea=ky;

Hkkjrh; [kku C;wjks

{ks=h; [kku fu;a=d dk;kZy;

f}rh; ry] th0 ,l0 vkbZ0 QhYM Áf'k{k.k dsUnz] egksok[kkdkj dk;kZy; ifjlj]

ikLV&fo/kkulHkk] jk;iqj&492005 ¼NÙkhlx<½

Qksu ,oa QSDl&0771&2282530] 2285590@95 bZ&esy% **ro.raipur@ibm.gov.in**

No- CHG/RAP/LST-72/NGP **खान कोड- 38CHG14021** fnukad%&**08.02.2022**

प्रेषिति-

श्री अशोक सरीन, पट्टेदार

से.- 23, सेक्टर- 3, देवेंद्र नगर,

रायपुर, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़- 492009

ई-मेल: - shraddha.sarin@gmail.com

बिसय: छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले में स्थित आपके मढ़ी चुनापथर खदान 10.117 हैक्टर में खनिज संरक्षण एबं बिकास नियमाबली 2017 एबं 2021 के नियमों के संबंध में |

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 18/12/2021 को ईस कार्यालय के श्री प्रशान्त कुमार साहू, सहायक खनन अभियंता द्वारा श्री अशोक सरीन, पट्टेदार कि उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के उपरांत पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण विकास नियमावली 2017 एबं संशोधित नियमावली 2021 के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन किया हे |

fu;e	mYya?ku dk ladj dk foLrr C;kjk
11(1)	The following deviations are observed against the proposal in the approved Review of Mining Plan vide letter no. रायपुर/चुप/खयो-1206/2019-रायपुर dated 19.06.2019 for the period from 2019-20 to 2021-22: (i) Mining operation has been carried out in 7.5 mt. safety zone barrier between the boundary pillar no. 3 & 4 against no such proposal in the approved Review of Mining Plan during the year 2020-21.
26(2)	A yearly report as per the format specified by the Indian Bureau of Mines, before 1st day of July every year setting forth the extent of protective and rehabilitative works carried out as envisaged in the approved mine closure plan has not been submitted for the year 2020-21.
27(2)	In compliance to the Gazette notification no. G. S. R. 780 (E) dated 03rd November 2021, the difference of financial assurance (FA) as required under Rule 27(1) and the FA already submitted in the form of a bank guarantee (BG) has not been submitted to this office within 90 days from the date of notification.
45(5)(C)	In annual return for financial year 2020-21 following discrepancies are observed; i. At part-V (General Geology & Mining), updated reserves and resources at the end of the year are furnished incorrectly. ii. At part-V, Sec-5 of the said return, the details information for the types of machinery used is not furnished. iii. The cost of production, ex-mine price & sale price are incorrectly cited as rupees 253/-.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 **एबं संशोधित नियमावली** 2021 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 **एबं संशोधित नियमावली** 2021 के नियम 11(2) एवं 45(7) के अंतर्गत ।

(क) नियत तारीख तक प्रस्तुत नहीं करने पर या वार्षिक में अपूर्ण/गलत/मिथ्या सूचना देने पर 10,000/ रुपये प्रति दिन नियत तारीख के पश्चात उलंघन में सुधार तक भुगतान करना होगा।

(ख) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।

(ग) आपके विरूद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।
(घ) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों **11(1), 26(2) एवं 27(2)** का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

04. अतःआपको यह भी निर्देष दिया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों **45(5)(C)** का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 30 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप इस पत्र के जारी होने के दिनांक से उपरोक्त दिवस के भीतर कारण बताए कि क्यो न (ख) खान की सारी खनन संक्रियाएँ बंद की जाए । (ग) आपके वीरुध अभियोग दायर की जाए । (घ) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जाए ।

भवदीय

(देवदुर्लव दाश)
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर–440001
2. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
3. **निदेशक ;(सांख्यिकी) एवं प्रभारी अधिकारी ख.ख.सां.वि. भारतीय खान ब्यूरो, वी मंजिल, ब्लाक डी, सिविल लाइन्स, नागपुर-** 440001।

(देवदुर्लव दाश)
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर